अनुसूची-1

(धारा 77 की उपधारा (1) देखिए)

क ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर

(1) से (4) [1][* * * *]

(5) उन व्यक्तियों पर बाजार फीस जो ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान या उसमें के किसी भवन या संरचना में विक्रय के लिए माल रखते है ।

(6) ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या किसी स्थान में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस ।

(7) [2][* * * *]

ख जनपद पंचायतों द्वारा अधिरोपित किया जाने वाले अनिवार्य कर

नाट्य गृहों पर नाट्य प्रदर्शनी तथा सार्वजनिक मनोरंजन के. अन्य प्रदर्शनो पर कर ।

SCHEDULE I

[See sub-section (1) of Section 77]

A. OBLIGATORY TAXES TO BE IMPOSED BY GRAM PANCHAYATS

[3][x x x]

5. Market fees on persons exposing goods for sale in any market 01 at any place or any building or structure therein belonging to or under the control of the Gram Panchayat.

6. A fees on the registration of cattle sold in any market or in *any* place belonging to or under the control of the Gram Panchayat.

7. [4][x x x]

B. TAX TO BE IMPOSED BY JANPAD PANCHAYAT

A tax on theatre or theatrical performances and other performances of public entertainments.

---

[5][अनुसूची 1-क

[धारा 77-क (1) देखिए]

ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर

(1) निम्नलिखित से भिन्न भूमियों या भवनों या दोनों पर, जिनका पूँजी मूल्य भूमि के मूल्य को सम्मिलित करते हुए, छह हजार रुपये से अधिक हो, संपत्ति कर-

(क) संघ या राज्य सरकार, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के स्वामित्व के या उसमें निहित भवन या भूमियाँ;

---

1. अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2001 के द्वारा विलुप्त । दिनांक 26-1-2001 से प्रवृत्त ।
2. अधिनियम क्रमांक 43 सन् 1997 के द्वारा विलुप्त । दिनांक 5-12-1997 से प्रवृत्त ।
3. Omitted by M.P. Act No. 3 of 2001. [26-1-2001]
4. Omitted by M.P. 43 of 1997 [5-12-1997].
5. अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2001 के द्वारा अन्तःस्थापित । दिनांक 26-1-2001 से प्रवृत्त ।

(ख) अनन्यरूपेण धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भवन या भूमियाँ या उनका कोई भाग, जिनके अन्तर्गत बोर्डिंग हाउस भी है ।

[1][परन्तुक

(2) निजी संडासों पर कर, जो उन भवनों के जिनसे संडास संलग्न है; भवन के स्वामी या अधिभोगी द्वारा उस दशा में देय होगा, जबकि उनकी सफाई ग्राम सभा अभिकरण द्वारा की जाती है ।

(3) प्रकाश-कर, यदि ग्राम सभा द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई है ।

(4) ग्राम सभा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई वृत्ति या व्यापार करने वाले या आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों पर कर ।]

[2][SCHEDULE I-A

[*See* Section (77-A)]

OBLIGATORY TAXES TO BE IMPOSED BY GRAM SABHA

(1) A property Tax on the lands or buildings or both, the capital value of which including the value of the land is more then 6000 Rupees other than—

(a) the buildings and lands owned or vested in the Union or State Government, Gram Sabha, Gram Panchayat, Janpad Panchayat, or Zila Panchayat.

(b) the buildings and lands or portions thereof used exclusively for religious or educational purposes including boarding houses:

[3][Provided that in the case of Special Economic Zone, the Development Commissioner may impose property tax on the lands or buildings or both.]

(2) A tax on private latrines payable by the occupier or owner of the buildings to which such latrines are attached when cleaned by Gram Sabha Agency.

(3) A light tax, if light arrangements have been made by the Gram Sabha.

(4) A tax on person, exercising any profession or carrying on any trade or calling within the limits of Gram Sabha area.]

अनुसूची 2

(धारा 77 की उपधारा (2) की देखिए)

क-ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अन्य वैकल्पिक कर, फीस आदि

(1) से (2) [4][* * * *]

(3) ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमाओ के भीतर किराये पर चलाई जाने के उपयोग में आने वाली बैलगाड़ियों, साइकलो एवं रिक्शों पर कर ।

---

1. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2007 के द्वारा परन्तुक जोड़ा गया । दिनांक 25-5-2007 से प्रवृत्त ।
2. Ins. by M.P. Act 3 of 2001, w.e.f. 26-1-2001.
3. Proviso added by M.P. Act 18 of 2007 [25-5-2007].
4. अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2001 के द्वारा विलुप्त । दिनांक 26-1-2001 से प्रवृत्त ।

(4) [1][* * * *]

(5) जल कर (रेट) जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा नियमित जल प्रदाय की व्यवस्था की जाती है ।

(6) जल निकास के लिए फीस, जहाँ जल निकास पद्धति ग्राम पंचायत द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है ।

(7) [1][* * * *]

(8) मोटरयानों से भिन्न यानों के स्वामियों द्वारा देय फीस, जहाँ मोटरयानों से भिन्न ऐसे यान ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर प्रवेश करते है ।

(9) से (14) [1][* * * *]

ख-जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अन्य वैकल्पिक कर

जनपद पंचायत द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए जनपद पंचायत में निहित या उसके द्वारा अनुरक्षित भूमियों या अन्य प्रयोजनों के उपयोग या उनके अधिभोग के लिए फीस ।

SCHEDULE II

[See sub-section (2) of Section 77]

A. OTHER OPTIONAL TAXES FEES ETC. TO BE IMPOSED BY GRAM PANCHAYATS

[2][x x x]

3. A tax on the bullock-carts, bicycles, rickshaws used for hire within the limits of Gram Panchayat area.

[2][x x x]

5. A water rate where arrangements are made by the Gram Panchayat for regular supply of water.

6. Fees for drainage where system of drainage has been introduced by the Gram Panchayat.

[2][x x x]

8. A fees payable by the owners of the vehicles other than motor vehicle, where such vehicles other than the motor vehicles enter the Gram Panchayat area.

[2][x x x]

B. OTHER OPTIONAL TAXES TO BE IMPOSED BY JANPAD PANCHAYAT

Fees for any licence or permission granted by the Janpad Panchayat under the Act or for use and occupation of lands or other properties vested in or maintained by the Janpad Panchayat.

---

1. अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2001 के द्वारा विलुप्त । दिनांक 26-1-2001 से प्रवृत्त ।
2. Omitted by M.P. Act 3 of 2001, w.e.f. 26-1-2001.

[1][अनुसूची 2-क

[धारा 77-क (2) देखिए]

ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अन्य वैकल्पित कर, फीस आदि

(1) अनुसूची-1-क की मद 1 के अन्तर्गत न आने वाले भवन पर कर ।

(2) सवारी करने, चलाने, खींचने या बोझा ढोने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं पर या कुत्तों या सुअरों पर कर जो उनके स्वामियों द्वारा देय होगा ।

(3) सरायों, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों, वधशालाओ तथा पड़ाव स्थलों के उपयोग के लिए फीस ।

(4) जल दर (रेट) जहाँ ग्राम सभा द्वारा नियमित जल प्रदाय की व्यवस्था की जाती है।

(5) मण्डी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामसभा क्षेत्रमें मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अर्थ के अन्तर्गत क्रेता, अभिकर्ता, आढ़तिया, तुलैया या मापक की वृत्ति करने वाले व्यक्तियों पर कर ।

(6) लोकोपयोगिता के विशेष संकर्मों पर अस्थाई कर ।

(7) सार्वजनिक संडासों के निर्माण या अनुरक्षण के लिए कर तथा कूडा कचरा हटाने और उसके व्ययन के लिए सामान्य सफाई कंरे ।

(8) बैलगाड़ी स्टेण्ड तथा तांगा स्टेण्ड के लिये फीस ।

(9) किसी सार्वजनिक स्थाई पर अस्थाई संरचना या उसके आगे निकले हुए किसी भाग के लिए या उस पर अस्थाई रूप से अधिभोग रखने के लिए फीस ।

(10) ग्राम सभा में निहित चारागाहों पर पशुओं को चराने के लिए फीस ।

(11) कोई भी अन्य कर जिसे अधिरोपित करने के लिये राज्य विधान मण्डल को भारत के संविधान के अधीन शक्ति प्राप्त है ।]

[2][SCHEDULE II-A

[*See* Section (77-A)]

OTHER OPTIONAL TAXES, FEES ETC. TO BE IMPOSED BY GRAM SABHA

1. A tax on building not covered under Item I of Schedule 1-A.
2. A tax on animals used for riding, driving, drought or burden or on dogs or pigs payable by the owners thereof.
3. Fees for the use of sarais, dharamshalas, rest houses, slaughter houses and encamping grounds.
4. A water rate where arrangements are made by the Gram Sabha for regular supply of water.
5. A tax on persons carrying on the profession of purchaser, agent, commission agent, weighman, or a measurer within the meaning of

---

1. अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2001 के द्वारा अन्तःस्थापित । दिनांक 26-1-2001 से प्रवृत्त ।
2. Ins. by M.P. Act 3 of 2001, w.e.f. 26-1-2001.

Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), in the area of Gram Sabha excluding the area of a Mandi.

6. A temporary tax for special works of public utility.
7. A tax for the construction or maintenance of public latrines and a general scavenging tax for removal and disposal of refuse.
8. Fees for bullock-cart stand and tonga stand.
9. Fees for temporary structure or any projection over any public place or temporary occupation thereof.
10. Fees for grazing cattle over the grazing grounds vested in the Gram Sabha.
11. Any other tax, which the State legislature has power to impose under the Constitution of India.]

अनुसूची-3

(धारा 80 देखिए)

ग्राम पंचायतों द्वारा फीस संग्रहण कार्य का ठेके पर दिया जाना

(1) उन व्यक्तियों या फीस जो ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान में विक्रय के लिए माल रखते हों या उसमें के किसी भवन या संरचना के उपयोग के लिए फीस ।

(2) ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस ।

(3) सरायों, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों, वधशालाओं तथा गड़ाव स्थलों के उपयोग के लिए फीस ।

(4) बैलगाड़ी स्टैण्ड या ताँगा स्टेण्ड के लिए फीस ।

(5) ग्राम पंचायत में निहित चारागाहों या पशुओ को चराने के लिए फीस

(6) जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित कोई अन्य फीस ।

SCHEDULE III

(*See* Section 80)

LEASE OF COLLECTION OF FEES BY GRAM PANCHAYATS

1. A fees on persons exposing goods for sale in any market or any place belonging to or under the control of Gram Panchayat or for the use of any building or structure therein.
2. A fees on the registration of cattle sold in any market or place belonging to it under the control of the Gram Panchayat.
3. A fee for the use of sarais, dharamshalas, rest houses, slaughter houses and encamping grounds.
4. A fee for bullock-cart stand or tonga stand.
5. A fee for grazing cattle over the grazing grounds vested in Gram Panchayat.
6. Any other fees imposed by Janpad Panchayat.